न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 86/2026

राजस्थान सरकार जरिये रामावतार, प्रवर्तन अधिकारी

––प्रार्थी

बनाम

श्री सुनील कुमार सैनी, प्रोपराइटर जगदम्बा इण्डेन ग्रामीण वितरक काली पहाड़ी रोड़ इस्लामपुर जिला झुंझुनू

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री विकास कुमार – प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अनिल कुमार सैनी, एडवोकेट – अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रार्थी के अनुसार प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश है कि दिनांक 19.02.2026 को जगदम्बा इण्डेन ग्रामीण वितरक काली पहाड़ी रोड़ इस्लामपुर जिला झुंझुनू के विरुद्ध गैस एजेन्सी की औचक जांच मुझ रामावतार प्रवर्तन अधिकारी झुंझुनू द्वारा स्थल पर पहुंच कर की गई। मौका स्थल पर श्री सुनील कुमार सैनी, प्रोपराइटर जगदम्बा इण्डेन ग्रामीण वितरक काली पहाड़ी रोड़ इस्लामपुर झुंझुनू मिले, जिन्होनें स्वयं को गैस एजेन्सी का प्रोपराइटर बताया तथा स्वयं की उपस्थिति में निरीक्षण करवाया। मौका पर गैस एजेन्सी की जांच में 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के 77 गैस से भरे हुये सिलेण्डरों का अन्तिम शेष स्टॉक दर्ज होना पाया गया परन्तु भौतिक सत्यापन में 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के 78 सिलेण्डर पाये गये जो वांछित स्टॉक से 1 सिलेण्डर अधिक पाया गया। मौके पर 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का अंतिम शेष स्टॉक शून्य दर्ज पाया गया परन्तु गैस एजेन्सी की गोदाम में भौतिक सत्यापन में 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के 3 खाली सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर अधिक पाये जाने के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नही दिया गया तथा न ही इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। बिन्दु संख्या 1 से 4 में वर्णित तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर आदेश की धारा 13 (1)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जब्त राज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सामग्री मौके पर बुलवाये गये सुनील कुमार सैनी, प्रोपराइटर जगदम्बा इण्डेन ग्रामीण वितरक काली पहाड़ी रोड़ इस्लामपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सुनील कुमार सैनी, प्रोपराइटर जगदम्बा इण्डेन ग्रामीण वितरक काली पहाड़ी रोड़ इस्लामपुर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक अवैध उपयोग कर दुरुपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

3,4,6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत विभागीय आदेश एफ 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2000 दिनांक 19.08.2000 के तहत संबंधित तेल कम्पनी को लौटाये जाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान मौके पर पाये गये 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर अधिक पाये जाने के संबंध में अप्रार्थी ने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे उक्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के धारा 3, 4, 6 व 7 का उल्ल्घंन करते पाये जाने पर मौके पर पाये गये 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर जप्त किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे स्वीकार कर जप्तशुदा सामग्री को संबंधित तेल कम्पनी के सुपुर्द करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि जप्तशुदा मौके पर पाये गये 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर वो एक ग्राहक द्वारा वापिस किये गये थे जो उसके द्वारा लेकर गये हुये थे। दिनांक 19.02.2026 को सहवन के कारण इन्हे स्टॉक में नहीं ले पाये। अतः अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त करते हुए जप्तशुदा सिलेण्डर दिलाने की कृपा करें।

हमने बहस उभय पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी के 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर स्टॉक से अधिक पाये जाने जप्त की कार्यवाही की गई है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके कथनों का स्वीकार किया जा सके। मौके पर पाये गये 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर स्टोक से अधिक पाये गये है जिससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के धारा 3, 4, 6 व 7 का उल्ल्घंन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त किये गये 01 भरे हुये 19 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी तथा 3 खाली 5 किलोग्राम व्यवसायिक श्रेणी के गैस सिलेण्डर को राजसात कर संबंधित तेल कम्पनी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं